



ऑनलाइन गेमिंग एथिक्स को डिकोड करना

प्रलिस के लिये:

[इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया \(IAMAI\)](#), [नो-योर-कस्टमर \(KYC\)](#), [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000](#), [IT अधिनियम की धारा 67, 67A और 67B](#)

मेन्स के लिये:

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर स्वैच्छिक आचार संहिता का प्रभाव और इसके कानूनी नहितार्थ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने स्वैच्छिक से हस्ताक्षरित एक [आचार संहिता](#) तैयार की है।

- यह कदम उद्योग के लिये **स्व-नियमन** और अधिक स्थिर वातावरण बनाने के प्रयास का प्रतीक है।
 - भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग मामलों की ज़िम्मेदारी **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** को सौंपी गई है।

गेमिंग उद्योग द्वारा अपनाई गई आचार संहिता क्या है?

- स्वयं को नियंत्रित करने और बढ़ती चर्चाओं को दूर करने के लिये तीन प्रमुख लॉबी समूहों [इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया \(IAMAI\)](#), [ई-गेमिंग फेडरेशन \(EGF\)](#) और [ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन \(AIGF\)](#) ने स्वैच्छिक से एक **आचार संहिता** पर **हस्ताक्षर** किये हैं।
- आचार संहिता पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रकृति की है। अपनी **गैर-बाध्यकारी प्रकृति** के बावजूद संहिता का लक्ष्य उद्योग के भीतर ज़िम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देना है और इसे स्व-नियमन की दृष्टि में एक कदम के रूप में देखा जाता है।
- यह संहिता **उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुने गए** ऑनलाइन गेम के संबंध में सूचित नरिणय लेने के लिये सशक्त बनाकर उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास करती है।
- संहिता के अनुसार, **ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों** को लागू कानूनों के अनुसार **अपने ग्राहक को जानिये (KYC)** प्रक्रिया अपनानी होगी।
- इसके अतिरिक्त कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर **वजिताओं का नरिधारण करने के मानदंड, ली गई फीस का खुलासा करना अनवार्य** होगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमा राशि का उपयोग केवल प्लेटफॉर्म पर गेम खेलने के लिये किया जाए।
- यह पारदर्शिता, नष्पिक्षता और उत्तरदायित्वपूर्ण गेमिंग जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिये एक **अनुकूल वातावरण** बनाने का भी प्रयास करता है।

ऑनलाइन गेमिंग क्या है?

- **परचिय:**
 - ऑनलाइन गेमिंग के अंतर्गत **इंटरनेट** की सहायता से गेम खेलना, मैदानों में जाकर खेलने के बजाय इंटरनेट कनेक्शन और सहयोगात्मक गेमप्ले की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
 - यह कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित विभिन्न उपकरणों पर खेला जा सकता है।

जुआ/गैबलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के बीच अंतर:

- **जुआ/गैबलिंग** अनश्चित परिणामों वाली कुछ खेलों अथवा गतिविधियों पर **दाँव लगाने** की प्रथा है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन अथवा भौतिक संपत्तिको जीतना है।
 - जुए के विभिन्न रूप मौजूद हैं, जैसे कि कैसीनो गेम, खेल में सट्टेबाज़ी और लॉटरी।

- ऑनलाइन गेमिंग के वपिरीत जुए में पैसे अथवा मूल्यवान वस्तुएँ खोने का जोखिम होता है।
- भारत में **संयोग का खेल** जुए की श्रेणी में आता है और यह आमतौर पर प्रतबंधित है, जबकि जुए के दायरे से बाहर आने वाले कौशल के खेलों को आमतौर पर छूट है।
 - **RMD चमारबागवाला बनाम भारत संघ मामले** में कोई गतिविधि जुआ है अथवा नहीं- निर्धारित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने 'कौशल' को प्रमुख आधार माना।
 - न्यायालय ने माना कि जिन प्रतियोगिताओं में काफी हद तक कौशल शामिल होता है, उन्हें **जुआ/गैबल गतिविधियाँ नहीं माना जा सकता है।**

ऑनलाइन गेमिंग पर सरकारी वनियम और वभिन्न संहिताएँ किस प्रकार संरेखित हैं?

- **सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867**
 - यह अधिनियम मुख्य रूप से गैर-ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से संबंधित है। हालाँकि इसकी प्रासंगिकता ऑनलाइन गेमिंग में भी है, जो इसके वनियमन के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:**
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 गेमिंग सहित ऑनलाइन गतिविधियों को वनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IT अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिये कानूनी आधार प्रदान करती है।
 - **IT अधिनियम की धारा 67, 67A, और 67B** अधिकारियों को ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कानून बनाने के लिये सशक्त बनाती है, जो मौका, जुआ और सट्टेबाजी के तत्त्वों को शामिल करने वाली गतिविधियों को वनियमित करने में वकिल की आवश्यकता को पहचानती है।
 - यह मान्यता जुए और सट्टेबाजी को राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखते हुए ज़िम्मेदारियों के संवैधानिक वभिजन के अनुरूप है।
- **स्व-नियामक निकाय:**
 - **इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने ऐसे नियम पेश किये हैं जो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के भीतर स्व-नियामक निकायों की स्थापना की अनुमति देते हैं।
- **अंतर-मंत्रालयी कार्य बल की सफ़ारिशें:**
 - सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण अंतर-मंत्रालयी टास्क फ़ोर्स द्वारा की गई सफ़ारिशों में स्पष्ट है, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिये नियमों के निर्माण में योगदान दे रहा है।
 - ये सफ़ारिशें उद्योग के विकास और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक प्रयास को दर्शाती हैं।

आगे की राह

- **अनुपालन हेतु प्रौद्योगिकी एकीकरण:**
 - ऐसे प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करना जो कोड के प्रावधानों जैसे मजबूत KYC प्रक्रियाओं और पारदर्शी प्रकटीकरण तंत्र के निरिबाध कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - **वजिता का निर्धारण और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने, निषेध तथा जवाबदेह गेमिंग वातावरण** सुनिश्चित करने के लिये ब्लॉकचेन या अन्य सुरक्षित प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।
- **नियमिती ऑडिट और रिपोर्टिंग:**
 - सहिता की शर्तों के अनुपालन का आकलन करने के लिये स्वतंत्र निकायों द्वारा आवधिक ऑडिट हेतु एक प्रणाली स्थापित करना।
 - ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर नियमिती रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश देना, जसिमें वजिताओं के निर्धारण के तरीके, प्लेटफॉर्म शुल्क तथा जमाराशिका उपयोग, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने का वविरण हो।
- **उपभोक्ता प्रतिक्रिया तंत्र:**
 - एक सुदृढ़ फीडबैक तंत्र लागू करना जो खलिाड़ियों की चिता व्यक्त करने तथा कूट के साथ उद्योग के अनुपालन पर फीडबैक प्रदान करने की अनुमति देता है।
 - कूट में निरंतर सुधार करने, उभरती समस्याओं का समाधान करने एवं समग्र गेमिंग अनुभव को सुधारने के लिये उपभोक्ता प्रतिक्रिया का उपयोग करना।
- **अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:**
 - ऑनलाइन गेमिंग नैतिकता में वशिव की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अवगत रहना एवं उन प्रासंगिक उपायों को अपनाने पर वचिर करना जो अन्य न्यायालयों में सफल साबित हुए हैं।
 - अंतरदृष्टि साझा करने तथा वैश्विक गेमिंग समुदाय के अनुभवों से सीखने के लिये अंतरराष्ट्रीय मंचों में भाग लेना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के "डजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा क'चीन ने किया ।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जसिसे बड़े आँकड़े एकत्रति करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्टरीय कंपनियों को प्रोत्साहति किया जा सके क'वे हमारी भौगोलकि सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें ।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनकि स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई (Wi-Fi) लाना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-online-gaming-ethics>

